पत्र सं0-सी0/एल0ए0-02/2007.....5502...../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

EST./BSLSA Received on.........

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,
बुद्धमार्ग, पटना।

पटना,दिनांक 27/8/15

विषय:- **अधिसूचना की छायाप्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार के **ज्ञापांक-3867, दिनांक-21.08.2015** (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता अधिनियम, 1983 के धारा-17 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना निर्गत कर अग्रेत्तर कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।
28/8/15

E:\ARCHANA KUMARI\BAKHILESH SIR\CLA.doc

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डा.......
दिनांक.......
प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर.......

बिहार सरकार
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 21.8.2015

एस०ओ०सं०–I/एम[1]–245/2006– 3867 /न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) (बिहार राज्य के लिए लागू) की धारा–35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, परिहार से संबंधित सभी पूर्व आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 के विनियम–19 के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, संविधान के अनुच्छेद–23 में यथा निर्देशित मानव व्यवहार से पीड़ित या भिखारी, औरत या बच्चा, मानसिक रोगी या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति, प्राकृतिक आपदा, जाति संबंधी हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प अथवा औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित, औद्योगिक कर्मकार अथवा अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा–2 के खण्ड (छ) के अर्थान्तर्गत संरक्षा गृह में अभिरक्षा अथवा किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा–2 के खण्ड (ज) के अर्थान्तर्गत किशोर गृह में अभिरक्षा अथवा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा–2 के खण्ड (ण) के अर्थान्तर्गत मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा मनोचिकित्सक नर्सिंग होम में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्तियों एवं अन्य ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनकी सभी ज्ञात श्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1,00,000/-- (एक लाख रूपये) से अधिक न हो और विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा–12 एवं बिहार राज्य कमजोर वर्ग विधिक सहायता अधिनियम, 1983 की धारा–17 के अनुसार मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हों, न्यायालय फीस, प्रोसेस फीस और वकालतनामा फीस का परिहार, तुरन्त के प्रभाव से करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के सचिव।

एस०ओ०सं०–I/एम[1]–245/2006–3867/, पटना, दिनांक– 21.8.15

प्रतिलिपि, उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Department of Registration, Excise & Prohibition
(Registration)

NOTIFICATION

Patna, Dated- 21.8.15

S.O.No.- I/M[1]-245/2006- 3867 /In exercise of the power conferred by Section-35 of Court Fee Act, 1870 (7 of 1870) (applicable for the State of Bihar) the Governor of Bihar, superseding all the previous orders relating to the remission, is pleased to remit the Court fee, Process fee, Vakalatnama fee for persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe, a victim of trafficking in human beings or beggar as referred to in Article 23 of the Constitution, a woman or a child, a mentally ill or otherwise disabled person, a victim of a natural disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake or industrial disaster, an industrial workman or person in custody in a protective home within the meaning of clause (g) of Section 2 of Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) or in a Juvenile Home within the meaning of clause(g) of Section 2 of the Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986), or in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home within the meaning of clause (o) of Section 2 of the Mental Health Act, 1987 (14 of 1987), under regulation 19 of the Bihar State Legal Services Authority Regulation, 1998, and such other persons whose annual income from all known sources does not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac) and who are eligible for free legal aid in accordance with Section 12 of Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) and Section 17 of Bihar State Weaker Section Legal Act, 1983 with immediate effect.

By the order of the Governor of Bihar,

Sd./-
(Vinay Kumar)
Secretary to the Government.

ज्ञापांक–I/एम[1]–245/2006– 3867 /,पटना, दिनांक– 21.8.15

प्रतिलिपि, वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–I/एम[1]–245/2006– 3867 /,पटना, दिनांक– 21.8.15

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विनय कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–I/एम[1]–245/2006– 3867 /,पटना, दिनांक– 21.8.15

प्रतिलिपि, मुख्य सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागीय सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/माननीय मंत्री, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20/8/15
(विनय कुमार)
सरकार के सचिव।